राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

पॉलिसी करवाने व लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार

जयपुर, 13 सितम्बर। पुलिस उपायुक्त पश्चिम जयपुर श्री अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना झोटवाडा पर परिवादी दामोदर अग्रवाल ने दिनांक 01.06.2017 को रिपोर्ट दी कि उसके पास फोन आया व इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने का झांसा दिया एवं चालीस लाख रूपये का लोन करवाने का आश्वासन दिया और मुझे ICICI बैंक के एक अकाउंट में रूपये जमा करवाने का कहा। बार बार अलग–2 आश्वासन देते हुए करीब 4.50 लाख रूपये कुलदीप सिंह के नाम के खाते में डलवा लिए। बाद में मुझे पता चला कि यह सब फ्रोड हैं। इस रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 309–17 धारा 420 आई.पी.सी व 66 आई. टी एक्ट में दर्ज कर तपतीश शुरू की गई।

बढते साईबर अपराध की रोकधाम व धरपकड हेतु अति. पुलिस उपायुक्त श्री रतन सिंह ने निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाडा के सुपरविजन में थानाधिकारी झोटवाडा गुरू भूपेन्द्र सिंह, सउनि पदम सिंह, कानि. राजेंद्र सिंह व सुनिल की टीम गठित की गई। जिन्होने तकनीकी सहायता व बैंक खाते की डिटेल से कडी से कडी मिलाते हुए एक व्यक्ति सतानंद शर्मा पुत्र श्री ब्रजेश चंद शर्मा निवासी आगरा हाल नोएडा को दस्तयाब दिया जिससे पूछताछ में मालुम हुआ कि उक्त व्यक्ति ही कुलदीप सिंह बना हुआ है। जिसने कुलदीप सिंह नाम से फर्जी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि तैयार कर बैंक में खाता खुलवाया व नोएडा में एक ऑफिस किराये पर लिया। जहॉ से विभिन्न कम्पनियों की अलग–2 सिम से अलग–2 ग्राहक फासने के लिए फोन करता था। और जैसे ही कोई ग्राहक फंसता था उसे लालच देकर पैसे जमा करवाने का कहता था। पैसे जमा होने के बाद उनको तुरंत निकाल लेता था एवं 2–3 माह में खाता बंद कर देता था या फिर किसी अन्य बैंक में खाता खुलवा लेता था। उक्त सतानंद पुत्र श्री ब्रजेशचंद शर्मा को मुकदमा हाजा में गिरफतार कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एवं फर्जी दस्तावेज व ढगी की रकम बरामदगी के प्रयास जारी है। उक्त सतानंद ,द्वारा ऐसी ओर भी वारदातों के बारे में जानकारी मिली है। जिसके सम्बंद मे अनुसंधान जारी है।